

**राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड**

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

संख्या 1920/रा0नि0आ0-क0पो0/1267/2012

देहरादून

दिनांक 19 सितम्बर, 2019

विषय-त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु सोशल मीडिया के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,


राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1808/रा0नि0आ0-2/2668/2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग प्रचार-प्रसार हेतु किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु यह आवश्यक है कि कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ऐसे कोई संदेश का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौदाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। यदि कोई उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा Information Technology Act, 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

उक्त के अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) से प्रमाणीकरण (pre-certification) कराना सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

  
(चन्द्रशेखर भट्ट)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- / रा0नि0आ0-क0पो0/1267/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रभारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)(जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

**राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड**

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)संख्या /रा0नि0आ0-क0पो0/1267/2012 देहरादून दिनांक 18 सितम्बर, 2019  
विषय-त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु सोशल मीडिया के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश।  
महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1808/रा0नि0आ0-2/2668/2019 दिनांक 13.09.2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग प्रचार-प्रसार हेतु किया जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु यह आवश्यक है कि कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ऐसे कोई संदेश का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे जिससे धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौदाह पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। यदि कोई उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा Information Technology Act, 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।

उक्त के अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) से प्रमाणीकरण (pre-certification) कराना सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा। कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या-1920/रा0नि0आ0-क0पो0/1267/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रभारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय,(जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।
2. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)(जनपद हरिद्वार को छोड़कर) उत्तराखण्ड।

२  
(चन्द्रशेखर भट्ट)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त।